राजस्व पर्षद, बिहार

पत्रांक:-

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन सिन्हा, भा.प्र.से. (1978 बैच)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक .....

विषय:- **बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 में निहित प्रावधानों के आलोक में राजस्व पदाधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-11, 14, 15 एवं 21 के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षणवाद दायर करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा-11 में बिहार भूदान यज्ञ समिति को दान स्वरूप प्राप्त भूमि को संपुष्टि का प्रावधान अंकित किया गया है। उक्त अधिनियम में दान-पत्रों को सम्पुष्ट करने से संबंधित शक्ति राजस्व पदाधिकारियों को प्रदत्त की गयी है। विभागीय अधिसूचना संख्या EVII-2025/56-7646-LR, दिनांक 20 सितम्बर 1956 के द्वारा राज्य के सभी भूमि सुधार उप-समाहत्ताओं को बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व पदाधिकारी के रूप में नामित/अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-17 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला के समाहर्त्ता को भी भूदान से संबंधित दान-पत्रों को संपुष्ट करने की शक्ति प्रदत्त है।

2- बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा-11, 14, 15 एवं 21 के अंतर्गत यदि दान-पत्रों को सम्पुष्ट करने, भूदान से संबंधित जमीन के वितरण के संबंध में, भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व प्राप्त एवं वितरित भूमि के संबंध में अथवा भूदान यज्ञ अधिनियम के अंतर्गत वितरण से संबंधित आदेश को निसस्त करने के संबंध में, यदि कोई आदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा पारित किया जाता है तो वैसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्ध जिला के समाहर्त्ता के न्यायालय में 60 दिनों के अन्दर अपील वाद दायर किया जायेगा। यदि उक्त बिन्दुओं पर जिला के समाहर्त्ता के द्वारा उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में आदेश पारित किया जाता है तो वैसी स्थिति में आदेश पारित होने के 60 दिनों के अन्दर अपील वाद प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में दायर किया जायेगा।

3- राजस्व पर्षद अथवा प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा भूदान यज्ञ अधिनियम के अंतर्गत निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता एवं वैधानिकता की जाँच एवं समीक्षा हेतु किसी भी अभिलेख को अपने न्यायालय में मंगवाया जा सकता है। इसके साथ ही वैसे अभिलेखों की भी जाँच राजस्व पर्षद एवं प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा की जा सकती है जो निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता अथवा जिला समाहर्त्ता के न्यायालय में लंबित है एवं अभिलेखों के साथ संलग्न कागजातों/ साक्ष्यों के आधार पर संबंधित पक्षों को अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया जा सकता है।

4- अपील न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण वाद भी राजस्व पर्षद अथवा प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में दायर किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा-17 ए के तहत पुनरीक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु धारा-17ए के तहत जो प्रावधान अंकित किया गया है वह पुनरीक्षण न्यायालयों से संबंधित है एवं उक्त शक्ति Revisional Court में ही निहित होता है।

5– उक्त के अतिरिक्त बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा–17 बी में निहित प्रावधान के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत राजस्व पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित है, को भूदान से संबंधित विशेष दिशा–निर्देश जिला के समाहर्त्ता, प्रमंडलीय आयुक्त एवं राजस्व पर्षद के द्वारा दिया जा सकता है।

क्र. सं.	बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण पृच्छाएँ	पृच्छाएँ से संबंधित विधि विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य
1	बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा– II में प्राप्त दान–पत्रों की राजस्व अधिकारियों के द्वारा भूमि दान–पत्र के माध्यम से बिहार भूदान यज्ञ समिति को प्राप्त होने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर इसे सम्पुष्ट किया जाएगा, अथवा दान पत्र कितने दिनों के अंदर बिहार भूदान यज्ञ समिति के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को सम्पुष्टि हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।	इस संबंध में भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा 11(5) में सम्पुष्टि का प्रावधान है। राजस्व पदाधिकारी को भूदान यज्ञ समिति से दान पत्र प्राप्त होने के पश्चात धारा 11 के उप धारा 1, 2, 3 एवं 4 के अंतर्गत सारी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद धारा 11(5) के तहत सम्पुष्टि की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके लिए इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
2	बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रभाव में आने के पहले दान स्वरूप जो जमीन आचार्य विनोवा भावे को प्राप्त हुआ, पर भी क्या बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम का प्रावधान प्रभावी होगा ?	बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व में जो जमीन दान में मिला था उसपर भी बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम का प्रावधान लागू होगा।

6– **भूदानः**– उदाहरणस्वरूप प्रमंडलायुक्त, पूर्णियाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा सूचित किया गया कि किशनगंज अनुमंडल अंतर्गत भूदान से प्राप्त कुल भूमि 15634.92 एकड़ में से 10436.15 एकड़ भूमि सम्पुष्ट है। जिसमें से 5344 लाभार्थियों के बीच 6241.83 एकड़ रकवा का पर्चा वितरित कर दिया गया है। समाहर्त्ता, किशनगंज को आदेश दिया जाता है कि त्वरित गति से शेष संपुष्ट भूमि का भी सुयोग्य लाभार्थियों के बीच नियमानुसार विधि–सम्मत कार्रवाई करते हुए पर्चा वितरण करा दें। इसका अनुपालन प्रतिवेदन दो माह के भीतर प्रमंडलायुक्त, पूर्णियां के माध्यम से (1) राजस्व पर्षद तथा (2) राजस्व एवं भूमि सुधाार विभाग को अवश्य प्रेषित करें।

7– इसी तरह अन्य जिलों के समाहर्त्ता भी संपुष्ट भूमि का पर्चा सुयोग्य व्यक्तियों के बीच नियमानुसार विधिा सम्मत कार्रवाई करते हुए तीन महीनों के भीतर दिनांक 31.07.2016 तक निश्चित रूप से वितरित करें एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन प्रमंडलायुक्त, राजस्व पर्षद तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अवश्य प्रेषित करें।

8– प्रमंडलायुक्त तथा जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने–अपने प्रमंडलों के जिलों में भूदान कार्य के गति एवं दिशा अपने व्यक्तिगत नेतृत्व में प्रदान करें एवं भूदान कार्य को त्वरित गति से नियमानुसार विधि–सम्मत कार्रवाई करते हुए निष्पादित करें। वे इसके लिए अपने जिला समाहर्त्ता को समय–समय पर समुचित वांछित निदेश एवं मार्गदर्शन स्वयं प्रदान करें एवं नियमित रूप से अपने प्रमंडलीय सम्मेलनों, जिला एवं अनुमंडल कार्यालयों के निरीक्षण, जिला स्तरीय बैठकों एवं अन्य अवसरों पर ठोस बिंदुवार समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर उचित निर्देश देने की कार्रवाई करें।

9– ज्ञातव्य है कि बिहार में 1955 से ही महान स्वतंत्रता सेनानी एवं 1940 में महात्मा गांधी द्वारा विदेशी शासन के विरूद्ध "व्यक्तिगत सत्याग्रह" (Individual Satyagraha) के लिए विशेष रूप से चयनित प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोवा भावे के आह्वान पर भूदान कार्य शुरू किया गया था तथा महात्मा गांधी के "Trusteeship theory of wealth" के विश्वप्रसिद्ध सिद्धांत के अनुरूप "सर्वे भूमि गोपाल की" चरितार्थ करते हुए भूमिपतियों से स्वेच्छा से अपनी–अपनी अतिरिक्त धारित जमीन का समाज के गरीब तथा भूमिहीन ग्रामवासियों को भूमि से संपन्न कर महान सामाजिक–आर्थिक शांतिपूर्ण क्रांति का सूत्रपात किया गया था तथा बिहार के सभी जिलों का विनोवा जी ने स्वयं जिलावार गहन दौरा कर भूदान के तहत बड़े–बड़े जमींदारों तथा भूमिपतियों से अपनी–अपनी अतिरिक्त भूमि स्वयं स्वेच्छा से दान देने का अभियान चलाया था जिसमें बिहर की जनता ने प्रबल सहयोग एवं समर्थन दिया था। वास्तव में पूरा बिहार का ही "बिहार दान" विनोवा जी के सफल

नेतृत्व में ही संपन्न हो गया था। बाद में बिहार के शिखर पुरूष परमपूज्य लोकनायक जय प्रकाश नारायण (JP) भी इस भूदान कार्य से जुड़ गये थे एवं उन्होंने विनोवा जी से कंधा से कंधा मिलाकर भूदान को बिहार में अभियान चलाकर मूर्त्त रूप दिया था।

10- अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि कृपया भूदान के इस महान राष्ट्रीय शांतिपूर्ण क्रांतिकारी कार्यक्रम में अपनी-अपनी क्षमता, योग्यता, अभिरूचि, इच्छा तथा प्रतिबद्धता के अनुरूप अपना योगदान सुनिश्चित करें जिससे भूमिहीनता की समस्या, जो राज्य में विकट है, का समाधान हो सके तथा एक सामुदायिक भूमि स्वामित्व तथा "Socialistic Pattern of economy and society and polity" के महान आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति हो पाये।

11- भूदान संबंधी कार्य में अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ समिति, पटना से भी निकटतम एवं नियमित संपर्क एवं समन्वय स्थापित करते हुए उनसे नियमानुसार परामर्श तथा सहयोग प्राप्त कर उसमें तेजी लायें एवं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का ठोस कार्य सुनिश्चित करें।

12- अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में भूदान से संबंधित कार्यों/वादों का नियमानुसार विधि-सम्मत निष्पादन किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)

अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांकः- पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, अनु0 जाति तथा अनु0 जन जाति कल्याण विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार/ पुलिस महानिदेशक, बिहार/ सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार/ सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षक, बिहार/ सभी वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक, बिहार/ सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार/ विधि सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार/ सभी लोक अभियोजक (सभी जिलों के)/ सभी सरकारी वकील (Government Pleader) सभी जिले/ निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप/ सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/ निदेशक, चकबंदी/ महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), पटना/ निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी (Director, Bihar Judicial Academy), गायघाट गंगा ब्रिज (गांधी सेतु के समीप), पटना-800007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)

अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांकः- पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलायुक्तों के सचिव/ सभी उप निदेशक, भू-लगान एवं मानकीकरण/ सभी प्रमंडलायुक्त कार्यालय/ सभी अपर समाहर्त्ता/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)

अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांकः- पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ समिति, राज्य कार्यालय, मकान सं0-02, रोड नं0-34, गर्दनीबाग, पटना-800002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि कृपया भूदान यज्ञ संबंधी कार्य को त्वरित गति से संपन्न एवं संचालित करने की कृपा करें एवं इस संबंध में समय-समय पर नियमित रूप से सभी प्रमंडलायुक्तों, जिला समाहर्त्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं से निकटतम संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास से भूदान कार्य में तेजी तथा प्रगति लाने की कृपा करें।

यदि इस संबंध में राजस्व पर्षद से किसी सहयोग, सहायता या परामर्श की आवश्यकता हो तो कृपया निस्संकोच शीघ्र समन्वय स्थापित कर समस्या-समाधान एवं निराकरण के लिये उनका स्वागत रहेगा।

ह0/-
(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः- मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रधान सचिव/ मा0 राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के आप्त सचिव को कृपया सादर सूचनार्थ एवं अवगतार्थ प्रेषित।

ह0/-
(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को इसका सारांश सभी इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/-
(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांक:- पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः- सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार/ उप सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार/ अवर सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार/ विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व पर्षद, बिहार/ प्रधान आप्त सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार/ लोक सूचना पदाधिकारी, राजस्व पर्षद, बिहार/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, राजस्व पर्षद, बिहार एवं सूचनापट्ट, राजस्व पर्षद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांक:- रा0 प0-04-36/2015-99 पटना, दिनांक 17.03.2016

प्रतिलिपिः- सचिव/उप सचिव, राजस्व पर्षद, कृपया इस संबंध में अनुवर्त्ती (follow-up) एवं अनुश्रवण (Monitoring) नियमित रूप से कर सदस्य/ अपर सदस्य को समय-समय पर सूचित एवं अवगत कराते रहेंगे।

17/3
17.3.16

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।